

// मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर //
::-कोटेशन आमंत्रण सूचना-::

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु शील बंद लिफाफे में निम्नलिखित वर्दी सामग्री क्रय करने हेतु कोटेशन आमंत्रित किये जाते हैं। विभागीय पोर्टल <https://mphc.gov.in> पर भी कोटेशन के नियम एवं शर्तें उपलब्ध हैं।

1.	व्हाइट क्लॉथ वर्दी हेतु (रेमन्ड/सियाराम)	—	508.25 मीटर
2.	खॉकी क्लॉथ वर्दी हेतु (रेमन्ड/सियाराम)	—	295.75 मीटर
3.	लाल साफा क्लॉथ (कार्टन)	—	132 मीटर
4.	ब्ल्यू साड़ी सैट (साड़ी, ब्लाउज, पेटिकोट)	—	22 सैट
5.	कमरबंद एवं सॉफा पट्टी	—	11 सैट
6.	गॉंधी टोपी	—	180 नग
7.	ड्राइवर हेतु व्हाइट P केप	—	21 नग

पंजीकृत संस्थाएं म0प्र0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर के प्रोटोकॉल अनुभाग में दिनांक 12/12/2023 को दोपहर 01:30 बजे तक सील्ड/बंद लिफाफे में वर्दी नमूने सहित कोटेशन प्रस्तुत कर सकते हैं। विलम्ब से प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।

नियम एवं शर्तें :-

1. प्रस्ताव के साथ संबंधित फर्म के क्लॉथ/सामग्री के सेम्पल संलग्न करना आवश्यक है अन्यथा विचार नहीं किया जावेगा। फर्म का सम्पर्क नम्बर, जीएसटी नम्बर, पैन नम्बर का विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
2. वर्दी क्लॉथ के कटपीस 3.25 मी0, 6.50 मी, 7.50 मी0 के कटपीस प्रदाय किये जाने होंगे। वर्दी क्लॉथ के कटपीस केरीबेग में होना चाहिए एवं केरीबेग के ऊपर कटपीस की मात्रा अंकित होना अनिवार्य है।
3. लाल साफा कपड़े के 12 मीटर के कटपीस प्रदाय किये जाने होंगे।
4. वर्दी सामग्री की उल्लेखित संख्या में वृद्धि या कमी हेतु प्रिंसिपल रजिस्ट्रार सक्षम है।
5. वर्दी क्लॉथ के नमूने प्रदाय शेड में विरिेशन नहीं आना चाहिए सभी कटपीस के सेड एक जैसे होना चाहिए साथ ही वर्दी बनवाये जाने के बाद कपड़ा सिकुड़ना अथवा रेसे नहीं आने चाहिए। वर्दी क्लॉथ नमूने पर कपड़ा निर्माण कम्पनी का उल्लेख होना आवश्यक है तथा फर्म की शील क्लॉथ नमूने पर होना अनिवार्य है। फैब्रिक में उच्च गुणवत्ता का ध्यान रखा जावे।
6. प्रस्ताव में उल्लेखित कंपनी की वर्दी क्लॉथ न होने एवं निम्न स्तर की होने की दशा में फर्म को स्वयं के व्यय पर वापस लेना होगा तथा निर्धारित कंपनी अनुसार ही वर्दी सामग्री अतिशीघ्र प्रदाय करनी होगी।
7. ड्राइवर हेतु व्हाइट P केप नपती अनुसार प्रदाय की जानी होगी।
8. सफल प्रस्तावक को क्रय आदेश मिलने के 15 दिवस के अंदर वर्दी सामग्री प्रदाय की जानी होगी, अन्यथा विलम्ब हेतु पेनाल्टी देय होगी।

पूर्व पृष्ठ से

//2//

9. लिफाफे पर स्पष्ट रूप से "वर्दी सामग्री प्रदाय हेतु कोटेशन" लिखा जावे।
10. प्रस्ताव के साथ संलग्न समस्त प्रपत्रों पर हस्ताक्षर एवं सील अनिवार्य अंकित होना चाहिये।
11. सफल आवेदक को कोई अग्रिम देय नहीं होगा। प्रदाय सामग्री का वेरीफिकेशन पश्चात् नियमानुसार टैक्स कटोत्री पश्चात् भुगतान ई-पेमेंट के माध्यम से संस्था के बैंक खाते में सीधे किया जावेगा।
12. कोटेशन स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार प्रिंसिपल रजिस्ट्रार को होगा जो सभी पक्षों को मान्य होगा।

डिप्टी प्रिंसिपल
प्रिंसिपल रजिस्ट्रार,
उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश
खण्डपीठ इन्दौर